HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 10952/2024

1. Karan Singh S/o Chajulal, R/o Khedla, Police Station Manpur, Tehsil Sikray, District Dausa, Rajasthan.
2. Sardar Singh S/o Jay Singh, R/o Gurjar Seemal, Police Station Mehndipur Balaji, Tehsil Sikray, District Dausa, Rajasthan.

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Vishal Gurjar
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh Shekhawat, P.P. Mr. Vishivas Saini

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

04/12/2024

प्रार्थी/अभियुक्त **सरदारसिंह** की ओर से योग्य अधिवक्ता द्वारा दिनांक 26.11.2024 करे जमानत आवेदन पत्र नोट प्रेस किया जा चुका है। अतः यह जमानत आदेश अभियुक्त कर्णसिंह के संबंध में पारित किया जा रहा है।

प्रार्थी/अभियुक्त **कर्ण सिंह** द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक–**27.08.2024** के विरूद्ध यह अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसे पुलिस थाना–**सिकंदरा, जिला दौसा** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–**161/2024** अपराध अन्तर्गत धारा **420, 406 एवं 120–बी** भारतीय दण्ड संहिता में अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने के संबंध में प्रस्तुत किया गया है।

बहस सुनी गई।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को इस प्रकरण में मिथ्या लिप्त किया जा रहा है। पक्षकारान के मध्य धारा 138 एन0आई0 एक्ट का भी प्रकरण लंबित है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा परिवादी नरेन्द्र के विरूद्ध भी धारा 138 एन0आई0 एक्ट की कार्यवाही कर रखी है, जो लंबित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में जो राशि दिए जाने का उल्लेख किया गया है, उसमें कोई भी दिनांक अंकित नहीं की गई है। यदि परिवादी द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त को कोई पैसे दिए भी गए हैं तो वह उसे वसूल करने की कार्यवाही कर सकता है। प्रार्थी से अभिरक्षात्मक अनुसंधान की आवश्यकता नहीं है, अतः प्रार्थी को अग्रिम जमानत पर छोडा जावे।

योग्य लोक अभियोजक एवं परिवादी के योग्य अधिकारी द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों, वितर्कों पर मनन किया। अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट, अनुसंधान के दौरान आई साक्ष्य, दोनों पक्षों के अधिवक्तागण द्वारा रखे गए तर्को, प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति एवं प्रकरण के तथ्यों एवं समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा अनुसंधान अधिकारी/थानाधिकारी पुलिस थाना **सिकन्दरा, जिला दौसा** को निर्देश दिये जाते हैं कि उनके यहां पंजीबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या**– 161/2024** में प्रार्थी/अभियुक्त **कर्ण सिंह पुत्र श्री छाजू लाल** को गिरफ्तार किये जाने की सूरत में यदि प्रार्थी उनके संतोषप्रद 50,000/–रूपये अक्षरे पचास हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000–25,000/– अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये राशि की दो जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दें तो उन्हें निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर आजाद कर दिया जाएः–

1. कि प्रार्थी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिये जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होंगा।
2. कि प्रार्थी इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्षः अथवा परोक्ष रूप से उन्हें कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देंगा।
3. कि प्रार्थी बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत नहीं छोड़ेंगा।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

MAHESH ADWANI /49